

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/89/2025

श्री पूरन मल महावर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
चिलाचौन्द, पंचायत समिति बाडी, जिला धौलपुर राज0

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 07.01.2026


अपीलार्थी श्री पूरन मल महावर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिलाचौन्द, पंचायत समिति बाडी, जिला धौलपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/1045 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर का जबाब पत्रांक सा.जा./2025/169 दिनांक 07.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक सा.जा./2025/169 दिनांक 07.01.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर


(2)

अपील / आरटीआई / 89 / 2025
पूरन मल महावर बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार भरतपुर

गई सूचना कार्यालय के पत्रांक सा.जा./2025/158 दिनांक 08.12.2025 से नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर